उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः–882/प्रावि0–18/SH-59/**NOC Vol-4/F.N. 62**/2020–21/उपशा/लखनऊ दि0: 12/11/2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (आयुध),
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,
मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।

विषयः–मै0 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, मेरठ प्रादेशिक कार्यालय, आबू का मकबरा, केसरगंज मेरठ के द्वारा खसरा नं0 128, स्थित ग्राम बेगमपुर, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर पर MS/HSD रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बन्ध में।

संदर्भः–कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मुजफ्फरनगर के पत्रांक 185/शस्त्र सहायक दिनांक 05.10.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र/प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्रीमती बीरमति पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी अंकित विहार, पचेण्डा रोड, सरवट, जिला मुजफ्फरनगर को खसरा नं0 128, स्थित ग्राम बेगमपुर, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर पर **MS/HSD** रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु लिखा गया है।

उक्त प्रकरण पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती हैः–

1. ऑयल कम्पनी को मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर (75 फिट) की दूरी के पश्चात आश्यकतानुसार निर्माण कराना अनिवार्य होगा जिसका खर्च आवेदक को स्वयं वहन करना होगा तथा जिसके लिए कन्सेशनायर को अग्रिम भुगतान करना आवश्यक होगा।
2. ऑयल कम्पनी को रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकास द्वार पर आवश्यकतानुसार नाली पर लोहे की ग्रेटिंग (जाल) लगाया जाना आवश्यक होगा। यह कार्य भी आवेदक को स्वयं के खर्चे पर कन्सेशनायर को अग्रिम भुगतान करते हुये उनके माध्यम से कराना होगा।
3. बफर स्ट्रीप का निर्माण का IRC की विशिष्टियो के अनुरूप कम से कम 3.00 मी0 चौड़ी एवं 12.00 मीटर लम्बाई में होना चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट का लेवल सड़क के पेन्टेड सतह के मध्य लेवल से 0.30 मी0 नीचे होना चाहिए। जिससे वर्षा का पानी बहकर मार्ग की ओर जाये तथा सड़क की पटरी या लेपित सतह को क्षतिग्रस्त न करने पायें।
5. रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग में 150 एम0एम0 जी0एस0वी0 WBM grade II WBM grade III प्रत्येक 75 एम0एम0 (अथवा 150 WBM) 50BM तथा 25 MM SDBC का न्यूनतम पेवमेन्ट कम्पोजिशन होना चाहिए। पहुँच मार्ग के रखरखाव का दायित्व भी आवेदक का होगा।
6. राज्य मार्ग की भूमि पर रिटेल आउटलेट के निर्माण की सामग्री का एकत्रीकरण न किया जायें।
7. रिटेल आउटलेट स्थापित करने में [illegible] 2-2009 [illegible] U.P. Road Side Land Control Act में दिये गये [illegible]

8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

10. मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की दशा में एवं उल्लेखित किन्ही भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग मंत्रालय तथा उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी जिससे सुलभ यातायात बाधित हो जो दुर्घटना का कारण बनें।

12. निकट भविष्य में मार्ग की सीमाओं के विस्तार की संभावना है। यदि आवश्यक होगा तो ऑयल कम्पनी को विभागीय शर्तो पर भूमि छोड़नी होगी।

13. रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु लोक निर्माण अनुभाग–12, उ0प्र0 का शासनादेश 1882 / 23 –12 –19– 1365 / 17 टीसी दिनांक–04 दिसम्बर, 2019 द्वारा जारी गाइडलाइन / Norms में दिये गये मानको एवं नियमों का अनुपालन अनिवार्य है।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

उपरोक्तानुसार आवेदक को न्यू रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया जा सकता है।

संलग्नकः–(1) मानचित्र।

(2) लीज एग्रीमेंट प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

(प्रिय रंजन कुमार)
सदस्य(प्रशासन)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी विकासकर्ता मेसर्स देवबंद हाईवेज प्रा0लि0, बी0–9, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. टीम लीडर, मेसर्स सी0एम0ई0सी0, कंसल्टिंग प्रा0 लि0 , प्रथम तल प्लाट नं0 72 / 447, अग्रसेन विहार, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, 251001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती बीरमाते पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी अंकित विहार, पचेण्डा रोड, सरवट, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।